

दिनांक-04.09.2013 को श्री दीपक कुमार साहु बि0प्र0से0 अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज की अध्यक्षता में आयोजित अंचल अधिकारियों की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- बैठक की कार्यवाही पंजी के अनुसार।


सर्वप्रथम अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा आज दिनांक 04.09.2013 को आयोजित अंचलाधिकारियों की मासिक बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं के महत्व पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं राजस्व कार्यों की कंडिकावार समीक्षा प्रारंभ की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. अंचल कार्यालय का निरीक्षण :- सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे माह सितम्बर 2013 में अपने-अपने अंचल कार्यालय का विस्तृत निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी दिनांक- 29.09.2013 तक अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ अपर समाहर्ता, मधेपुरा एवं समाहर्ता, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. भू-लगान :- बैठक में उपस्थित सभी अंचलाधिकारियों से भू-लगान से संबंधी अंचलवार समीक्षा की गयी। अंचलाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार भू-लगान का प्रतिवेदन परस्पर विरोधावास है। अतएव अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि निम्नांकित प्रपत्र में प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर अनुमंडल राजस्व शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। :-

क्र०	अंचल का नाम	लक्ष्य	वर्तमान वसूली	कर्मचारी के पास	अंचल नजारत में	बैंक में	कोषागार में	अभ्युक्ति
------	-------------	--------	---------------	-----------------	----------------	----------	-------------	-----------

सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि पिछले वर्ष के लक्ष्य में 15 प्रतिशत राशि जोड़कर उसे चालू वित्तीय वर्ष का लक्ष्य मानकर तदनुसार वसूली



कार्य प्रारंभ करें एवं भू-लगाव से प्राप्त राशि चलान के माध्यम से कोषागार में जमा करे एवं अधकट्टी चलान की छायाप्रति के साथ अनुपालन प्रतिवेदन दे।

3. नामान्तरण :- बैठक में अंचलाधिकारियों द्वारा समर्पित दाखिल-खारिज का मासिक प्रगति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र	प्रखंड का नाम	31.03.13 तक लंबित वादों की सं०	गत माह में दाखिल वादों की सं०	प्रतिवेदों में दाखिल वादों की सं०	कुल दाखिल वादों की सं०	गत माह तक निष्पादित वादों की सं०	प्रतिवेदों में निष्पादित वादों की सं०	कुल निष्पादित वादों की सं०	अस्वीकृत वादों की सं०	कुल लंबित वादों की सं०	प्रमाणित निर्गत शुद्धि पत्र की सं०			अभ्युक्ति
											भू-घाटी	हत्या कर्मधा टी	रली पंजी	
01	ज्वालपाड़ा	0	725	253	978	665	225	890	54	88	601	601	601	
02	चौसा	174	1113	369	1656	994	401	1395	309	261	1395	1395	1395	
03	बिहारगंज	135	448	64	647	359	96	455	192					प्रतिवेदन अधूरा
04	पुरेजी	0	1858	326	2184	1674	305	1979	205	205	1979	1979	1979	
05	आलमनगर	0	1621	699	2320	1621	699	2320	0		2320	2320	2320	प्रतिवेदन अधूरा
06	किशुनगंज													अप्राप्त

आलमनगर :- आलमनगर के द्वारा अस्वीकृत वादों की संख्या नहीं दिया गया है।

निदेश दिया गया कि अगली बार से उसकी संख्या देंगे एवं वैसे मामले जो आर०टी०पी०एस० के अंतर्गत प्राप्त है उसका निष्पादन निर्धारित समय के अंदर सुनिश्चित करे तथा आर०टी०पी०एस० में प्राप्त दाखिल-खारिज मामले का अलग से प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।



अंचलाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में निम्नांकित त्रुटियाँ पायी गईं- जिसका अंचलवार विवरण निम्न प्रकार है :-

ग्वालपाड़ा :- अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल निष्पादित मामलो की संख्या- 890 है जिसमें 54 वाद अस्वीकृत किये जा चुके हैं, फलस्वरूप 836 मामले में प्रमाणित शुद्धि पत्र निर्गत किया जाना चाहिए जबकि मात्र 601 मामले में ही प्रमाणित शुद्धिपत्र निर्गत है, शेष 235 मामले में प्रमाणित शुद्धिपत्र क्यों नहीं निर्गत किया गया।

चौसा :- अंचल अधिकारी, चौसा का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल निष्पादित वादों की संख्या- 1395 एवं प्रमाणित शुद्धि पत्र की संख्या-1395 अंकित है जबकि 309 मामले अस्वीकृत किये जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में 1395 प्रमाणित शुद्धिपत्र कैसे निर्गत किया गया।

बिहारीगंज :- अंचल अधिकारी, बिहारीगंज का समर्पित प्रतिवेदन अधूरा है, क्योंकि कुल-455 मामला निष्पादित एवं 192 मामले अस्वीकृत दिखलाये गये हैं परन्तु प्रतिवेदन में न तो लंबित मामले का जिक्र है और न प्रमाणित शुद्धिपत्र का जिक्र है। अंचलाधिकारी दोषी कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने स्पष्टीकरण के साथ भेजे।

पुरैनी :- अंचल अधिकारी, पुरैनी का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल निष्पादित वादों की संख्या- 1979 एवं प्रमाणित शुद्धि पत्र की संख्या-1979 अंकित है जबकि 205 मामले अस्वीकृत किये जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में 1979 प्रमाणित शुद्धिपत्र कैसे निर्गत किया गया।



उदाकिशुनगंज :- अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज मासिक प्रगति प्रतिवेदन में भाग नहीं लिये ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें राजस्व कार्यों के प्रति अभिरुचि नहीं है। निदेश दिया गया कि भविष्य में निश्चित रूप से प्रगति प्रतिवेदन के साथ भाग ले अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जायेगा। इस संबंध में अंचलाधिकारी तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दे कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा जाए।

अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि अंचल कार्यालय, उदाकिशुनगंज का निरीक्षण दिनांक- 08.10.2013 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाएगा। अतएव अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी दिनांक- 07.10.2013 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

4. पशु-सह-आश्रय स्थल :- पशु-सह-बाढ़ आश्रय स्थल का खाता खेसरा रकवा चौहद्दी चेक संख्या, राशि, नामान्तरण वाद संख्या और जमाबंदी नम्बर के साथ देगें।

सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि निम्नांकित प्रतिवेदन में पशु-सह-आश्रय स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर तीन दिनों के अंदर सत्यापन प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करे।

क्र०	पंचायत का नाम	पशु-सह-आश्रय स्थल का प्रस्ताव दिया गया है या नहीं	भौतिक स्थिति	पंचायत सरकार भवन का प्रस्ताव दिया गया है कि नहीं	भौतिक स्थिति	अभ्युक्ति



5. पंचायत सरकार भवन :- सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया उक्त भवन की सूची हेतु जमीन का डिटेल, रैयत की सूची देगे।

6. सैरात :- अंचल अधिकारियों द्वारा समर्पित सैरात प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया :-

अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे आगामी बैठक में भू-लगान से संबंधित विहित प्रतिवेदन के साथ-साथ निम्न प्रपत्र में भी प्रतिवेदन लाना सुनिश्चित करेंगे।


क्र०	अंचल का नाम	सैरातो की सं०	अंचल स्तर से बंदोबस्त होनेवाले सैरातो की सं०	बन्दोबस्त है अथवा नहीं	अनुमंडल स्तर से होनेवाले सैरातो की सं०	बन्दोबस्त है या नहीं	जिला स्तर	अभ्युक्ति
01	आलमनगर	05	02		03		00	
02	ग्वालपाड़ा	02	02		00		00	
03	उदाकिशुनगंज	00	00		00			अप्राप्त
04	बिहारीगंज	02	00		02		00	
05	पुरैनी	06	00		03		00	3 परता घोषित के लिए अनुगंसा
06	चौसा	11						7 बन्दोबस्त की गई 4 लंबित

7. महादलित :- सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी भूमिहीन महादलित परिवार को भूमि उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त है। अतएव सर्वेक्षित महादलित परिवारों को यथानिदेशित भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी से ऐसे महादलित परिवारों, जिन्हें जमीन के अभाव में इन्दिरा आवास नहीं दिया गया है, की सूची प्राप्त कर उन्हें जमीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

8. संपर्क सड़क :- सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि 500 से अधिक आबादी वाले महादलित बस्तियों को सड़क सम्पर्क से जोड़ना है। अतएव तदनुसार 500 से अधिक आबादी वाले महादलित बस्तियों को सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव अविलम्ब समर्पित करे अन्यथा यह प्रमाण-पत्र दे कि उनके यहाँ 500 से अधिक वाले महादलित बस्ती सड़कविहीन नहीं है।

15. लैंड बैंक :- सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक अंचल स्तर पर लैंड बैंक की स्थापना हेतु 30 एकड़ जमीन का प्रस्ताव दे। इस संबंध में अंचलाधिकारी, उदाकिशुनगंज भी अंचल स्तर के लिए 30 एकड़ एवं अनुमंडल स्तर के लिए अनुमंडल कार्यालय से सटे दक्षिण की 50 एकड़ जमीन का प्रस्ताव देना सुनिश्चित करे।

सामान्य निदेश :- सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के मासिक प्रगति प्रतिवेदन की कम्प्यूटराईज्ड कॉपी सी0डी0 के



साथ बैठक में लाना सुनिश्चित करे। उल्लेखनीय है कि अंचल स्तर पर भी कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

६० -

अनुमंडल पदाधिकारी
उदाकिशुनगंज

ज्ञापांक.....²⁵¹⁶⁻²दिनांक.....⁹⁻⁹⁻¹³

प्रतिलिपि :- सभी अंचलाधिकारी, उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुमंडल पदाधिकारी
उदाकिशुनगंज